भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. +36
सोमवार, 29 नवम्बर, 2021/8 अग्रहायण, 1943 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन पर वायु प्रदूषण के प्रभाव का आकलन

+36. श्री के. नवासखनी:
श्री बालू भाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पर्यटन पर वायु प्रदूषण के प्रभाव का कोई आकलन किया है;
(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार के ध्यान में आया है कि प्रदूषण के कारण पर्यटकों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;
(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ड.) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री **(श्री जी. किशन रेड्डी)**

(क) से (घ) : प्रदूषण के कारण पर्यटकों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है या नहीं और पर्यटन पर वायु प्रदूषण के प्रभाव का आकलन करने के लिए पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोई औपचारिक अध्ययन नही कराया है।
(ड.) वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय संलग्न **अनुबंध** में दिए गए हैं।

****

अनुबंध

पर्यटन पर वायु प्रदूषण के प्रभाव का आकलन के सम्बन्ध में दिनांक 29.11.2021 के लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. +36 के भाग (ड.) के उत्तर में **विवरण**

वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए उपाय

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए किए गए उपाय

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए वायु गुणवत्ता की निगरानी और प्रबंधन के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। जो इस प्रकार हैं:-

1. **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम)** की धारा 3 की उप-धारा (1), (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अध्यादेश, 2021 (2021 का 4) बेहतर समन्वय, अनुसंधान, वायु गुणवत्ता सूचकांक के आसपास की समस्याओं की पहचान और समाधान के लिए और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों के लिए दिनांक 13 जुलाई, 2021 के अध्यादेश द्वारा प्रख्यापित किया गया था।।

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने जीआरएपी के संचालन और आवश्यक आदेश जारी करने के लिए एक उप-समिति का गठन किया गया है, जिसके तहत नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हवा के शमन के लिए जीआरएपी के तहत आदेश जारी किए गए हैं। दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण दिनांक (24.11.2021) की स्थिति के अनुसार, 8 बैठकें बुलाई गई हैं और 5 आदेश जारी किए गए हैं (आदेशों की प्रति और कार्यवृत्त www.cpcb.nic.in/winter-action-2021-22/ पर उपलब्ध हैं)।

3. **वायु गुणवत्ता सूचकांक**: माननीय प्रधान मंत्री ने 2015 में वायु गुणवत्ता सूचकांक का शुभारंभ किया, जिससे वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अधिक से अधिक जन जागरूकता और कार्रवाई हुई।

4. परिवेशी वायु गुणवत्ता नेटवर्क: दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क मजबूत किया गया और वर्तमान में इसमें 143 स्टेशन (81 निरंतर और 62 मैनुअल सिस्टम) शामिल हैं। वृहत बड़ा कवरेज और बेहतर प्रतिनिधि डेटा अब उपलब्ध है।

5.

राज्य	**स्थापित**		
	मैनुअल	**सीएक्यूएम**	**योग**
दिल्ली	10	40	50
हरियाणा	23	22	45
यूपी।	20	17	37
राजस्थान	9	2	11
कुल	62	81	143

6. वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) के सहयोग से अक्टूबर, 2018 से दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली लागू की जा रही है जिसमें वास्तविक समय वायु गुणवत्ता, सक्रिय अग्नि योगदान और एयरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ (एओडी) आदि के

माध्यम से वायु गुणवत्ता की उपग्रह आधारित निगरानी 3-दिवसीय पूर्वानुमान के साथ-साथ जानकारी शामिल है।

7. **वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करने के उपाय**:-

i. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 1 अप्रैल, 2018 से और देश के बाकी हिस्सों के लिए 1 अप्रैल, 2020 से बीएस-IV से बीएस-VI ईंधन मानकों में वृद्धि ।

ii. दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाणिज्यिक वाहनों से टोल और पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क के संग्रहण के लिए दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) द्वारा लागू आरएफआईडी (रेडियो-आवृत्ति पहचान) प्रणाली।

iii. दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 10 साल से पुराने सभी डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने सभी पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध है। (माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिनांक 29.10.2018)

iv. अप्रैल, 2020 से देश भर में बीएस VI अनुपालित वाहनों की शुरूआत।

v. भारी उद्योग विभाग भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहन (एफएएमई-II भारत) योजना के तेजी से अपनाने और निर्माण के तहत ई-वाहनों पर सब्सिडी प्रदान कर रहा है।

vi. गैर नियत यातायात को मोड़ने के लिए एक्सप्रेसवे और राजमार्गों का संचालन।

8. **औद्योगिक उत्सर्जन के नियंत्रण के उपाय**

i. 24 अक्टूबर, 2017 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्यों में ईंधन के रूप में पेट कोयले और फर्नेस ऑयल के उपयोग पर, और 26 जुलाई, 2018 से अनुमत प्रक्रियाओं में उपयोग के अपवाद के साथ, प्रतिबंध देश में आयातित पेट कोक के उपयोग पर प्रतिबंध ।

ii. गैसीय ईंधन (सीएनजी, एलपीजी आदि), इथेनॉल सम्मिश्रण जैसे क्लीनर/वैकल्पिक ईंधन की शुरूआत।

iii. दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उद्योगों को स्वच्छ ईंधन में स्थानांतरित करने और लाल श्रेणी के उद्योगों में ओसीईएमएस की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

iv. ताप विद्युत संयंत्रों के लिए एसओ2 और एनओएक्स उत्सर्जन मानकों के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है।

v. 2022 तक थर्मल पावर प्लांट में बिजली उत्पादन के लिए कोयले के साथ बायोमास पेलेट के 5-10% उपयोग और परिवहन ईंधन में 10% इथेनॉल सम्मिश्रण जैसी नीतियों को बढ़ावा देना।

vi. कोयला आधारित पुराने बिजली संयंत्रों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने, मानकों का अनुपालन, सिटी गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क, शहरी क्षेत्रों में बेहतर बिजली विश्वसनीयता पर जोर देने जैसे क्षेत्रों में निम्न कार्बन रणनीतियों का विकास।

vii. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में सभी चालू ईंट भट्टों को ज़िग-ज़ैग तकनीक में स्थानांतरित करना।

9. निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, बायोमेडिकल अपशिष्ट और खतरनाक अपशिष्ट से उत्सर्जन के नियंत्रण के उपाय:-

i. ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट, सीएंडडी अपशिष्ट और खतरनाक अपशिष्टों को शामिल करते हुए 6 अपशिष्ट प्रबंधन नियमों की अधिसूचना 2016 में जारी की गई।
ii. भलस्वा, ओखला और गाजीपुर में तीन डंप साइटों का जैव-खनन किया जा रहा है और कार्य प्रगति पर है।
iii. निर्माण और विध्वंस गतिविधियों के लिए धूल शमन उपायों के संबंध में अधिसूचनाएं जारी की गई हैं।
iv. सीएंडडी अपशिष्ट प्रबंधन नियमों की अधिसूचना के साथ निर्माण और विध्वंस (सीएंडडी) अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाइयों की क्षमता में वृद्धि।
v. प्लास्टिक और ई-अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर)।

10. पटाखों से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करने के उपाय: कम उत्सर्जन और शोर के स्तर को नियंत्रित करने वाले हरित पटाखों की शुरूआत। ग्रीन क्रैकर्स में पारंपरिक आतिशबाजी की तुलना में पीएम और गैसीय उत्सर्जन में 30% संभावित कमी होती है।

11. पराली जलाने से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करने के उपाय:

i. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फसल अवशेषों के यथास्थान प्रबंधन के लिए कृषि मशीनीकरण को बढावा देने' पर केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत, कृषि मशीनों और इन-सीटू फसल अवशेष प्रबंधन के लिए उपकरणों को 50 प्रतिशत के साथ बढ़ावा दिया जाता है। एकल किसानों को सब्सिडी और कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना के लिए 80 प्रतिशत सब्सिडी।
ii. केंद्र सरकार ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में फसल अवशेषों के स्वस्थानी प्रबंधन के लिए कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने की योजना शुरू की थी।
iii. किफ़ायती परिवहन के लिए स्थायी विकल्प **(**सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन -**SATAT)** को कंप्रेस्ड बायो-गैस उत्पादन संयंत्र स्थापित करने और ऑटोमोटिव ईंधन में उपयोग के लिए कंप्रेस्ड बायो-गैस को बाजार में उपलब्ध कराने की पहल के रूप में शुरू किया गया है।

12. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम:

i. एनसीएपी के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए प्राण नामक एक पोर्टल शुरू किया गया है।
ii. वायु प्रदूषण को कम करने के मुख्य उद्देश्य से, मंत्रालय ने 2019 में भारत में शहर और क्षेत्रीय पैमाने पर वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए कार्यों को रेखांकित करने वाली राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में एक राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) शुरू किया है।
iii. एनसीएपी ने देश भर में 2024 तक 10 और 2.5 माइक्रोन (पीएम-10 और पीएम -2.5) से कम पार्टिकुलेट मैटर में 20 से 30% की कमी हासिल करने का लक्ष्य रखा है।

iv. इन शहरों में गतिविधियों में परिवेशी वायु गुणवत्ता नेटवर्क को मजबूत करना, स्रोत विभाजन अध्ययन, धूल शमन उपकरण, कंपोस्टिंग इकाइयाँ, गैर-मोटर चालित परिवहन के लिए बुनियादी ढाँचा, असंगठित क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा की ओर स्थानांतरण आदि शामिल हैं।

v. एनसीएपी बिजली संयंत्रों, उद्योगों, वाहनों, कचरे को खुले में जलाने, निर्माण और विध्वंस गतिविधियों आदि सहित प्रदूषण के बहु-क्षेत्री स्रोतों; कार्यों और हस्तक्षेपों के अभिसरण के लिए अंतर-मंत्रालयी समन्वय और ज्ञान भागीदारों के रूप में राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ साझेदारी पर संकेंद्रित है।

vi. व्यापक कार्य योजना (सीएपी) - दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए सीएपी, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए विभिन्न कार्य बिंदुओं के लिए पहचान की गई समय-सीमा के साथ विकसित की गई है और इसे लागू किया जा रहा है।

vii. जीआरएपी विभिन्न वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) श्रेणियों के तहत संबंधित एजेंसियों द्वारा लागू की जाने वाली कार्रवाइयों का सेट प्रदान करता है, अर्थात् मध्यम और खराब, बहुत खराब और गंभीर, और आपातकालीन स्थितियों को 'गंभीर +' श्रेणी कहा जाता है।

viii. मंत्रालय हरित अच्छे कार्यों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के लिए नागरिकों के बीच लोगों की भागीदारी और जागरूकता उत्पन्न करने को बढ़ावा दे रहा है, जो चक्रण को बढ़ावा देने, पानी और बिजली बचाने, पेड़ उगाने, वाहनों के उचित रखरखाव, पथ अनुशासन का पालन करने और कार-पूलिंग द्वारा सड़कों पर भीड़ को कम करने आदि पर ध्यान केंद्रित करता है।

13. स्वच्छ ईंधन की ओर स्थानांतरण सुनिश्चित करने के लिए उज्ज्वला योजना का विस्तार।

14. स्वच्छ भारत मिशन और अपशिष्ट प्रबंधन पहल।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रभावी वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए की गई कार्रवाई

1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नगरों के साथ-साथ भारत में भी निगरानी नेटवर्क को मजबूत किया गया है।
2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 3000 से अधिक पेट्रोलपंपों में वाष्प रिकवरी सिस्टम की स्थापना।
3. आनंद विहार, अंतर्राज्यीय बस अड्डे में स्मॉग टॉवर 01 अक्टूबर, 2021 से संचालित किया जा रहा है और इसके प्रदर्शन का मूल्यांकन आईआईटी, दिल्ली के सहयोग से आईआईटी, मुम्बई द्वारा किया जाएगा। स्मॉग टॉवर के आसपास विभिन्न स्थानों पर पार्टिकुलेट मैटर की मॉनिटरिंग के लिए सेंसर लगाए गए हैं ताकि स्मॉग टॉवर के संचालन के संघात / प्रभाव का अंदाजा लगाया जा सके। टावर के प्रदर्शन पर अंतिम रिपोर्ट देने के लिए संदर्भ/अनुसंधान ग्रेड उपकरणों की सहायता से उत्पन्न निगरानी डेटा का उपयोग कराया जाएगा।
4. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष संचालित किया जाता है, जिसमें विभिन्न सूचनाओं जैसे पीएम सांद्रता, निगरानी स्टेशनों के लाइव वायु गुणवत्ता डेटा, लाइव वायु गुणवत्ता सूचकांक, दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान (स्रोत: सफर, आईआईटीएम, पुणे) उपलब्ध है। अन्य मापदंडों के साथ एक्यूआई की निगरानी की जाती है और विश्लेषण के बाद एक्यूआई बुलेटिन के रूप में वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है। दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण के लिए तत्काल कार्रवाई पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए सीएक्यूएम को इसके लिंक उपलब्ध कराए गए हैं।
5. ताप विद्युत संयंत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए उद्योग-विशिष्ट उत्सर्जन मानकों को विकसित या संशोधित किया गया है। पर्यावरण मानदंडों के प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करने के लिए

एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा उद्योगों को लाल/नारंगी/हरा/सफेद श्रेणियों में वर्गीकृत करने के मानदंड स्वीकार किए गए हैं।

6. समय-समय पर औद्योगिक क्षेत्रों के लिए उत्सर्जन मानकों का कार्यान्वयन और संशोधन।
7. ताप विद्युत संयंत्रों में नए उत्सर्जन मानदंडों का कार्यान्वयन।
8. 24 अक्टूबर, 2017 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्यों में ईंधन के रूप में पेट कोयले और फर्नेस ऑयल के उपयोग पर और 26 जुलाई, 2018 से अनुमत प्रक्रियाओं में उपयोग के अपवाद के साथ, प्रतिबंध देश में आयातित पेट कोक के उपयोग पर प्रतिबंध ।
9. औद्योगिक इकाइयों को पीएनजी में परिवर्तित करना।
10. धूल दबाने वाले यंत्र के अनुप्रयोग का पता लगाया गया और उच्च उत्सर्जन वाले क्षेत्रों में इस संयंत्र (डस्ट सप्रेसेंट) का उपयोग करने के लिए एसपीसीबी को एडवाइजरी जारी की गई है।
11. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आईआईटी, एनईईआरआई, आदि जैसे प्रमुख संस्थानों के सहयोग से पर्यावरण संरक्षण शुल्क (ईपीसी) फंड के तहत अनुसंधान परियोजनाएं की जा रही हैं जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की वायु गुणवत्ता में सुधार की दिशा में केंद्रित कार्रवाई करने के लिए वैज्ञानिक इनपुट प्रदान करती हैं।
12. दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और शमन के लिए पहचान की गई कार्रवाई के लिए समय सीमा और कार्यान्वयन एजेंसी की पहचान करने वाली व्यापक कार्य योजना (सीएपी) के विकास के साथ-साथ ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के कार्यान्वयन को अधिसूचित किया गया है।
13. दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शहरों में 2017 से सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण को कम करने के लिए विभिन्न संबंधित एजेंसियों द्वारा की गई कार्रवाई के मूल्यांकन के लिए सख्त सतर्कता के लिए क्षेत्र में सीपीसीबी टीमों की तैनाती।
14. शमन उपायों के आकलन और वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकारी निकायों, सार्वजनिक एजेंसियों, शहरी स्थानीय निकायों और ग्रेडेड एक्शन प्लान दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर टास्क फोर्स के साथ संवाद।
15. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (नोएडा, गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद) में वायु प्रदूषण के मुद्दों के बारे में सार्वजनिक शिकायतों को 'समीर ऐप', 'ईमेल' (aircomplaints.cpcb@gov.in) और 'सोशल मीडिया नेटवर्क' के माध्यम से लिया जाता है। (फेसबुक और ट्विटर) और निवारण के लिए प्रवर्तन एजेंसियों को भेजा जा रहा है।

****